उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-63/2448/पांच-8-2016-जी0(61)/2016

लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-999/चि0-3-2010-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 शशांक श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 श्रीवास्तव द्वारा अपनी योगदान आख्या दिनांक 05-05-2010 को मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के आदेश दिनांक 05-05-2010 द्वारा डा0 श्रीवास्तव की तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्दरगढ़, कन्नौज में की गयी, जहां डा0 श्रीवास्तव द्वारा उसी दिन कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 श्रीवास्तव द्वारा 24-04-2012 तक नियमित रूप से कार्य किया गया। उसके उपरान्त डा0 श्रीवास्तव अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। अनुपस्थिति अवधि में ही डा0 श्रीवास्तव द्वारा अपने पत्र दिनांक 01-05-2012 के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज को अपनी अस्वस्थता से अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के पत्र दिनांक 18-09-2012, 23-03-2013 एवं 20-03-2014 द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। लम्बी अवधि के अनुपस्थिति के उपरान्त डा0 शशांक श्रीवास्तव द्वारा अपनी स्वस्थता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए दिनांक 09-11-2015 को मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के यहां योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के पत्र दिनांक 30-06-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 शशांक श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के अधीन कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 शशांक श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी के दिनांक 25-04-2012 से अनधिकृत अनुपस्थिति रहने एवं शासकीय कार्यो से विरत रहने आदि आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डा0 शशांक श्रीवास्तव के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कानपुर मण्डल, कानपुर को जांच अधिकारी नामित करने के एतद्द्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-63/2448(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 शशांक श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर को अनुमोदित आरोप पत्र की 02 प्रतियां साक्ष्यों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति अपचारी चिकित्साधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज को इस आशय से प्रेषित डा0 शशांक श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करायें।

6- कोषाधिकारी, कन्नौज।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी(द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर)।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-67/2990/पांच-8-2016-जी0(195)/2016

लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 राम प्रकाश द्विवेदी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 द्विवेदी द्वारा दिनांक 24-02-2012 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के आदेश दिनांक 06-03-2012 द्वारा डा0 द्विवेदी की तैनाती सामु0स्वा0 केन्द्र, मवई, फैजाबाद में की गयी, जहां डा0 द्विवेदी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 द्विवेदी द्वारा दिनांक 24-02-2012 से 29-05-2012 तक कार्य किया गया। डा0 द्विवेदी दिनांक 30-05-2012 को अवकाश प्रार्थना पत्र देकर पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। डा0 राम प्रकाश द्विवेदी द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 15-06-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 19-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 राम प्रकाश द्विवेदी, चिकित्साधिकारी को डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ के ब्लडबैंक में रिक्त चिकित्साधिकारी के पद पर इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 राम प्रकाश द्विवेदी, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 28-10-2016 तक डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-67/2990(1)/पांच-8-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 राम प्रकाश द्विवेदी, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 28-10-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/लखनऊ मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ।

7- कोषाधिकारी, बाराबंकी/लखनऊ।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।